

प्रेषक

कल्याण आयुक्त,  
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,  
बेज नं० 29-30, पोस्ट-11  
सैक्टर-4, पंचकुला।

सेवा में,

सभी श्रम कल्याण अधिकारी,  
हरियाणा राज्य में।

क्रमांक : HLWB/REV/2019/ 6665


दिनांक : 18/11/19

विषय :- अवितरित राशि को ऑफलाईन मोड से लेने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि अवितरित राशि को ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाना निश्चित हुआ था परन्तु पुराने कर्मचारियों का Aadhar उपलब्ध न होने के कारण अवितरित राशि जमा करवाने में संस्थाओं को कई समस्याएं आ रही हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष-2018 से पूर्व की अवितरित राशि ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है तथा वर्ष 2018 के बाद की अवितरित राशि ऑनलाईन माध्यम से ही प्राप्त की जाएगी।



लेखा अधिकारी,  
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला।